Research Paper | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 12 | DECEMBER 2024

नई शिक्षा नीति 2020: एक समग्र अध्ययन

डॉ. बीना महलावत [1]

[1] **पीडी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान.**

ABSTRACT:

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका, चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये समूची शिक्षा व्यवस्था को जिस नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, उसके अमल के लिहाज से साल 2022 बेहद अहम होगा। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। नई नीति में सभी को शिक्षा के समान अवसर दिए गए हैं। शिक्षा को रोजगार परक बनाया गया है। युवाओं के लिए कॅरिअर विकल्प चुनने के अधिक अवसर हैं। नीति में सभी को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से लेकर शोध शिक्षा तक राष्ट्रीय आवश्यकताओं से जोड़ा गया है।

KEYWORDS:

नई शिक्षा नीति 2020, शिक्षा नीति।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
25th December 2024	30th December 2024

प्रस्तावना

शिक्षा राष्ट्र विकास का आधार स्तंभ है। कोई भी राष्ट्र या समाज बिना शिक्षा के विकसित नहीं हो सकता। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी.ई. आर. के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र के निवासियों के भविष्य का निर्धारण करने में शिक्षा और शासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शासकों को देश के भविष्यकालीन विकास प्रतिमानों के बारे में आश्वस्त होना चाहिए कि भावी पीढ़ी को कैसे आकार दिया जाना है। उस अर्थ में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैज्ञानिक ढंग से सक्षम एवं जागरूक तथा समर्थ युवा पीढ़ी का विकास करेगी जो न्याय सार्थकता एवं तात्विक दृ ष्टि को बनाए रखेगी। नीति में रोजगार सृजक उद्योजक तैयार करने की दृष्टि समाहित है, जिसमें छात्र अध्ययन के विविध और परस्पर संबंधित क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में एक सार्थक बदलाव हो सकेगा। शिक्षा के उद्देश्य को सार्थक करने के साथ-साथ राष्ट्र की उत्कृष्टता प्रत्यक्ष रूप से साकार कर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समस्त क्षेत्रों में ज्ञान दृष्टि का विस्तार तथा भारत को समर्थ पीढ़ी की भूमि में परिवर्तित कर विश्वगुरु की उपाधि से पुनः विभूषित करने की दिशा में अपरिहार्य कदम है जो समस्त बाधाओं को पार कर सकेगा।[1]

शिक्षा नीति 2020 के चार तथ्यों पर आधारित है। पहला विद्यालयी शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा और तीसरा शोध का है। चौथा आधार नियामक से जुड़ा हुआ है कि देश की शिक्षा किस तरह संचालित होगी। विद्यालयी शिक्षा को लेकर बहुत दूरगामी कदम उठाया गया है। इसमें तीन वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र यानी बारहवीं तक बच्चे को विद्यालयी शिक्षा के साथ जोड़कर रखने और शिक्षा को समावेशी बनाने का प्रावधान है।

आंगनबाड़ी को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। यहाँ नीति-निर्माताओं से केवल एक आग्रह है कि छोटी उम्र के बच्चों पर बस्ते का बोझ न लादा जाये। उनको आरंभिक दिनों में खेल-कूद या मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाये। मातृभाषा में शिक्षा देने का विचार भी उल्लेखनीय है। गांधीजी भी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करते थे। एक तरह से देखा जाये तो इस नयी शिक्षा नीति का प्रारुप गांधीजी की शिक्षा नीति के बहुत नजदीक है।

दूसरा आधार उच्च शिक्षा का है। चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम की अब जो संरचना आ रही है, उसकी वैश्विक परिदृश्य के साथ एकरूपता है, पहले की उच्च शिक्षा में वैश्विक परिदृश्य के साथ एकरूपता की कमी थी। चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम में अगर कोई विद्यार्थी किन्हीं कारणों से एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो उसका वर्ष बर्बाद नहीं होगा, बल्कि उसका क्रेडिट जमा हो जायेगा और उसको सर्टिफिकेट मिल जायेगा। दो वर्ष के बाद यदि पढ़ाई छूट जाती है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा।

तीन वर्ष पर डिग्री मिल जायेगी। उसका क्रेडिट आगे चलकर चतुर्थ वर्ष और हायर स्टडीज में भी लागू हो सकता है। ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो यानी जीइआर को 2035 तक 50 प्रतिशत तक ले जाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो बहुत बड़ा कदम है। अगर हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं तो यह देश की शिक्षा के लिए, समाज के लिए बहुत बेहतर होनेवाला है। बहुत प्रयासों के बावजूद हमारा जीइआर अभी 26 प्रतिशत के करीब ही पहुंचा है। इतना ही नहीं, अब कोई भी विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार एक क्रेडिट कोर्स जैसे मानविकी, साहित्य या स्किल ले सकता है। इस लिहाज से उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन आने वाला है। विज्ञान के विद्यार्थी पहले समाज, साहित्य आदि के बारे में पढ़ ही नहीं पाते थे। नयी शिक्षा नीति अब विद्यार्थियों को उसके सीमित दायरे से निकालकर विस्तृत दायरा देने जा रही है। इस तरह अब विद्यार्थियों के विकास, मानसिक विकास, व्यक्तिगत प्रयासों के लिए संभावनाएं कहीं ज्यादा हैं। और जब ज्यादा संभावनाओं वाला क्षेत्र होता है तो उसका लाभ राष्ट्र और समाज के साथ उद्यमिता को भी मिलता है। रोजगार की दृष्टि से भी यह नीति बहुत फलदायी रहने वाली है। शोध आधारित विश्वविद्यालय का भी नयी नीति में प्रावधान है, जिससे देश में पब्लिकेशन, रिसर्च की संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। विश्व के जितने भी विश्वविद्यालय अच्छा करते हैं उनका रिसर्च कंपोनेंट, रिसर्च आउटपुट और पब्लिकेशन बहुत महत्व रखता है।[2]

नई शिक्षा नीति के समग्र सर्वेक्षण

नई शिक्षा नीति 2020 में भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का प्रस्ताव रखा गया है। जिसके तहत वर्ष 2030 तक देश की उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण होना है। उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2020 की धारा 20 (4) में खास तौर से इस बात का

जिक्र किया गया है कि, 'ये आयोग दुनिया के तमाम मशहूर और सम्मानित विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को भारत में अपना कैम्पस स्थापित करने के लिए नियम तय करेगा और ऐसे प्रस्तावों को तय नियमों के अंतर्गत अनुमति देगा।' विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैम्पस स्थापित करने के अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद भारत में अच्छा प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को अन्य देशों में अपना कैंपस स्थापित करने की भी इजाजत देगा. इसके लिए वो अन्य देशों की संस्थाओं से सहयोग कर सकेंगे. जिनमें विश्व की सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी शामिल होंगी।[3]

नई शिक्षा नीति, 2020 के कई सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बीच देश के नीति-निर्माताओं को वर्तमान चुनौतियों को भी शामिल करना चाहिए। भारत जैसा एक बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत है, इससे सुखद यहाँ के नागरिक के लिए भला क्या होगा? देश के हर विद्यार्थी अपनी विशिष्ट क्षमता, पहचान के साथ अपना सर्वांगीण विकास करते हुए बुनियादी साक्षरता और अवधारणात्मक समझ विकसित करे, इसी लक्ष्य को लेकर भारत सरकार ने पिछले वर्ष नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया था। बहुआयामी बताई जाने वाली यह कार्य योजना 2015 में अपनाए गए सतत् विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य चार, जिसमें वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा प्रस्तावित है, उसे ध्यान में रखकर बनाई गई। इसमें 2030 तक सभी के समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने की बात स्वीकारी गई है।

नई शिक्षा नीति, 2020 के निर्माण में जिन बातों को प्रमुखता से रखा गया है, उनमें से एक है कक्षा एक से ही बच्चों को शब्द, ध्वनि, रंग, आकार, संख्या आदि का ज्ञान देना। निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली महंगी फीस के एवज में स्कूल द्वारा स्मार्ट कक्षा में तो इसमें से बहुत कुछ विद्यार्थियों को सिखा पाना संभव है, लेकिन सरकारी स्कूल की खस्ताहाल व्यवस्था के बीच सरकार इस बिंदु को कैसे देखती है, यह स्पष्ट होना चाहिए। आज भी देश में 'स', 'श' और 'ष' के बीच अंतर को एक प्राथमिक का अध्यापक किस विधा से विद्यार्थियों को समझाता है, यह किसी से छिपा नहीं है। सरौता वाला 'स' और षट्कोण वाला 'ष' के बीच उलझा हुआ अध्यापक शब्द ध्वनि को उस प्राथमिक की कक्षा में जब तक सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं करेगा, बड़ा होकर विद्यार्थी भारतीय भाषाओं का अच्छा अध्येता कैसे बनेगा।

जब यह नई शिक्षा नीति बन कर तैयार थी, उसी समय देश में कोरोना का कहर हमारे बीच आ गया। नतीजतन, जहाँ विद्यालय के बीस फीसद बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे, वहीं उनकी संख्या अस्सी फीसद तक हो गई। करीब दो सालों से स्कूल पूरी तरह खुले नहीं हैं। सरकारी स्कूल के अध्यापकों की अपनी क्या नैतिक जिम्मेदारी उन विद्यार्थियों के अध्ययन की सक्रियता को बनाए रखने की रही है. यह शोध का विषय है। एक पहलू यह भी है कि जब से कोरोना महामारी फैली है, सरकारी अध्यापक जैसे दूसरे विभागों के सहायक के रूप में लग गए हैं। वे उन वर्ग समूहों में अध्यापन करते हैं, जहाँ डिजिटल मीडिया की पहुंच का फीसद काफी गिरा हुआ है।

नई शिक्षा नीति का सबसे महत्त्वपूर्ण चर्चा का विषय यह बिंदु भी है कि कक्षा छह से आठ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दस दिन के बस्तारहित कक्षा में भाग लेने और उसमें स्थानीय व्यावसायिक कार्य जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार के अलावा अन्य घरेलू औजार से जुड़े कामों में दक्ष होने की बात कही जा रही है। यहाँ गौरतलब है कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अधिकतर मजदूर, किसान और निम्न मध्य वर्ग परिवारों के होते हैं। ऐसे में उनके इन कामों को सीखने के बाद क्या गारंटी है कि उनके परिवार के लोग, जो खुद दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, वे उन्हें उन्हीं कामों में नहीं लगा देंगे? कहीं न कहीं यह बाल श्रम के अधिकारों के हनन को बढ़ावा देने जैसा प्रतीत हो रहा है। दूसरा पहलू यह भी है कि अगर यह पाठ्यक्रम देश के सभी स्कूल में समान रूप से लागू हो और इसमें सरकारी नौकरी प्राप्त व्यक्ति के परिवार के एक विद्यार्थी का नामांकन सरकारी स्कूल में अनिवार्य हो तो इसमें सुधार की गुंजाइश बढ़ जाएगी। अन्यथा यह एक तरह से वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाने जैसा प्रतीत होता दिखता है। बढ़ई का लड़का बढ़ई, मोची का लड़का मोची बन कर वह परिवार को चलाता रहेगा।

नई शिक्षा नीति का एक और पहलू बेहद चिंताजनक है। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया कि विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोग शिक्षण के पेशे में आएं। इसके लिए चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू होगा। देश में अभी भी लाखों बीएड, बीटीसी और अन्य शिक्षक बनने की अनिवार्यता लिए लोग घूम रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में एक और नई अर्हता से शायद कुछ समय तक इस प्रश्न को सरकार टालना चाहती दिखती है।

नई शिक्षा नीति समग्र विकास की बात करते हुए यह कह कहना चाह रही है कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम के तौर पर दूसरे विषयों को पढ़ा जाए, उनके ग्री-डिप्लोमा आदि लिए जाएं। ज्ञान के अर्जन के हिसाब से इस फैसले का कोई तोड़ नहीं, लेकिन जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में शिक्षा के समान अवसर जैसे-तैसे मिल जाने के बावजूद देश में विशेष अभियान के तहत वर्ग विशेष की रिक्तियों को भरा जा रहा हो तो कई सवाल खडे होते हैं। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है।

देखा जा सकता है कि किस तरह 'बिग डेटा', 'मशीन लर्निंग' और 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' यानी कृत्रिम बौद्धिकता जैसे विषय इन दिनों प्रगति कर रहे हैं। जैसे एक समय में कंप्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर की बाढ़ आ गई थी, वैसे ही इन दिनों डेटा साइंस, कम्यूटर साइंस और गणित जैसे विषयों की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हुआ है। उनके भविष्य में रोजगार और इन्हीं विषयों के डिग्रीधारियों के भविष्य को लेकर कोई फार्मूला अगर सरकार ने नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द इस पर अमल कर लेना चाहिए।

कई समस्याएं हैं, जिनके निराकरण के लिए ठोस कदम उठाया जाना जरूरी है। सवाल है कि वर्तमान में जिन चुनौतियों से मानव संसाधन मंत्रालय और शिक्षा विभाग के साथ विद्यार्थी और शिक्षक जूझ रहे हैं, उनके मत कहाँ हैं? सीधे तौर पर नई शिक्षा नीति, 2020 के कई सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बीच देश के नीति-निर्माताओं को वर्तमान चुनौतियों को भी शामिल करना चाहिए। हालत यह है कि देश में मीडिया शिक्षा को सौ से अधिक वर्ष होने के बावजूद लोग एक खूब प्रचारित संदेश से खून-खराबा करने वाले नागरिकों में शामिल दिखने लगते हैं।[4]

नई शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी बदलाव: एक आंकलन

29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की शुरुआत के बाद इसे लागू करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्वायत्त एजेंसियों के लिए पहला वर्ष मिश्रित प्रतिक्रियाओं और कोशिशों का रहा। इसे लागू करने में पहला कदम, एनईपी द्वारा सुझाव दिए जाने के बाद ये रहा कि, पूर्व में जिसे मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था उसे बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई उपायों की घोषणा कर दी। इसके तहत राज्य और केंद्र शासित और स्वायत्त शाखाओं से सहमति लेकर, 8-25 सितंबर 2020 से शिक्षकों के लिए 'शिक्षक पर्व के आयोजन की घोषणा की गई, साथ ही दूसरे स्टेक होल्डरों (हितधारकों) से एनईपी 2020 के अलग-अलग प्रस्तावों को कैसे अमल में लाया जाएगा इसे लेकर रणनीति पर चर्चा की गई. इसका नतीजा यह हुआ कि एक समायोजित योजना सार्थक (एसएआरटीएचएक्यू) (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति) की 8 अप्रैल 2021 से शुरुआत की गई। सार्थक नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े सभी प्रस्तावों से जुड़ी कार्रवाई को परिभाषित करता है। यह 297 कार्यों को चित्रित करता है, उन जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान करता है जो इन्हें अलग-अलग पूरा करेंगे और इनके नतीजों पर ध्यान देंगे।

शुरुआती शिक्षा: 10+2 शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 प्रणाली से बदलने के एनईपी 2020 के प्रमुख फैसले और इसका बच्चों की शुरुआती पांच साल की देखभाल और तीन साल से शिक्षा की शुरुआत पर बेहद जोर है, डीओएसईएंडएल ने 2026-27 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए इसके अलावा निपुण भारत पहल की शुरुआत की। यह एक बहुत ही आवश्यक और स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि बाकी एनईपी 2020 बच्चों के लिए काफी हद तक अप्रासंगिक हो जाएगा, जैसा कि अतीत में देखा गया है, अगर सबसे बुनियादी शिक्षा-जिसमें पढ़ना, लिखना और मूलभूत स्तर पर अंकगणित की काबलियत को इस पर आगे काम करने से पहले प्राप्त नहीं किया जाता है।

उच्च शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक, जैसा कि एनईपी 2020 द्वारा बताया गया है, वो उच्च शिक्षा में मानकों के रख-रखाव के लिए संवैधानिक जरूरतों के हिसाब से एक नए ढांचे को तैयार करना है। नए ढांचे की परिकल्पना में खास, स्वतंत्र और अधिकार प्राप्त संस्थाएं, वित्त मुहैया कराने की अलग-अलग भूमिकाएं निभाएंगे।

एनईपी 2020 की सिफारिशों को समायोजित करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान जैसे मौजूदा कार्यक्रमों को भी मजबूती प्रदान करने और उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहा है.

इसने शिक्षक विकास के लिए निष्ठा (स्कूल प्रमुखों के लिए राष्ट्रीय पहल और शिक्षकों की समग्र उन्नति) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए सीखने के नतीजों में सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है. इसके अलावा डीओएसईएंडएल के एक साल की उपलब्धि रिपोर्ट में जिन कदमों को सूचीबद्ध किया गया है उसमें शामिल हैंः समग्र शिक्षा के तहत वोकेशनल शिक्षा को मजबूती प्रदान करनाय सफल कार्यक्रम के जरिए व्यवस्था के स्वास्थ्य को निर्धारित करना जिससे की स्टेज असेसमेंट की शुरुआत करनाय एनडीईएआर (नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर) एक मुक्त, विकसित करने योग्य और ऐसा पब्लिक डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो तकनीक के विस्तार के साथ कदम से कदम बढ़ा सके, और दूसरी बातों के तहत ही शैक्षणिक संस्थानों के लिए ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा दे सके। डीओएसईएंडएल, डॉ के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक संचालन समिति के जरिए, सुधारों को लागू करने के लिये राज्य पाठ्यचर्या ढांचे को विकसित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने में लगा है, जिसके बाद वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर काम करना शुरू करेगा।

उच्च शिक्षा: दूसरी ओर, उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत धीमी गति से विकसित हुई है। उदाहरण के लिए, चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, जो समग्र और बहु-विषयक शिक्षा या उदार शिक्षा प्रदान करने के लिए एनईपी 2020 की अवधारणाओं में से एक है, को अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुमोदित डिग्री की सूची में शामिल नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक, जैसा कि एनईपी 2020 द्वारा बताया गया है, वो उच्च शिक्षा में मानकों के रख-रखाव के लिए संवैधानिक जरूरतों के हिसाब से एक नए ढांचे को तैयार करना है। नए ढांचे की परिकल्पना में खास, स्वतंत्र और अधिकार प्राप्त संस्थाएं, वित्त मुहैया कराने की अलग-अलग भूमिकाएं निभाएंगे। इस तरह कार्रवाई में अधिकार क्षेत्र की ओवरलैपिंग को खत्म करने के लिए अलगाव जरूरी है, व्यवस्था के अंदर जांच और संतुलन बनाने और हितों का टकराव कम करने के साथ-साथ शक्ति के केंद्रीकरण को खत्म करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। एनईपी 2020 भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के तहत कई संरचनाओं के गठन को बढ़ावा देती है, जिससे एक ऐसा संस्थान तैयार हो सके जो इन संस्थाओं के स्वतंत्र कार्यक्षेत्र में समायोजना ला सके। एचईसीआई और इससे जुड़े कार्यक्षेत्र संसद के एक अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आएंगे, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ऐसा कोई बिल मौजूदा वक्त में तैयार है।

सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने की एनईपी 2020 की सिफारिश सभी एचईआई को हर पांच साल में कम से कम एक बार प्रमाणित करने की मान्यता इसके ढांचे की क्षमता पर निर्भर करता है। कार्य की जटिलता और इसे निपटाने की गति की वजह से यह एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है।

एनईपी 2020 द्वारा दिए गए लचीलेपन को प्राप्त करने के लिए कई अन्य कानूनों को भी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संशोधित करने की जरूरत है। इनमें अलग-अलग तरह के विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले कार्य शामिल हैं और वे जरूरी कदम जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, और अन्य पेशेवर परिषदों की भूमिकाओं को अनिवार्य बनाते हैं। समय के साथ-साघ, बाद में इनमें से कई संस्थाओं ने नियामक की भूमिका को अपना लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि विश्वविद्यालय अक्सर कई तरह के परस्पर विरोधी नियमों से निपटते हैं। एनईपी 2020 के लिए आवश्यक है कि ये निकाय नियमन को छोड़ दे और अपने संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम, परिणामों और नैतिकता के लिए खुद को स्टैंर्ड सेटिंग तक ही सीमित रखें, लेकिन परिषदों को ऐसा करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। इसके विपरीत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने जनवरी 2021 से, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट, कार्यकारी, क्लीनिकल और व्यावसायिक शिक्षा सहित कानूनी शिक्षा के सभी पहलुओं को समायोजित करने में अपनी भूमिका को ज्यादा बढ़ा लिया है। इनमें से अधिकांश का अधिवक्ताओं के लिए नामांकन योग्यता को मान्यता देने के बीसीआई के वैधानिक आदेश से कोई लेना-देना नहीं है। यह स्व-सशक्तिकरण ऐसे समय में आया है जब कानून स्ट्रीम के अधिकांश छात्र कॉर्पोरेट कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्रों में, बार के बाहर भी करियर बना रहे हैं। एनईपी 2020 के ड्राफ्ट एनईपी 2019 के मसौदे से अलग होने के फैसले और प्रस्तावित नए नियामक ढांचे से चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को बाहर करने पर भविष्य में फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि यह नए नियामक ढांचे के पूर्ण लाम को बहुआयामी एचईआई में शामिल होने से रोकता है।

समय के साथ सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने की एनईपी 2020 की सिफारिश सभी एचईआई को हर पांच साल में कम से कम एक बार प्रमाणित करने की मान्यता इसके ढांचे की क्षमता पर निर्भर करता है। कार्य की जटिलता और इसे निपटाने की गति की वजह से यह एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। प्रामाणिकता देने की व्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए एचईसीआई बिल और इसे अमल में लाने के लिए योजना का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। सार्वजनिक मंच पर इस बात के कोई सबूत नहीं हैं जो इस बात का संकेत दे सकें कि इस अहम कार्य पर फौरन कोई काम शुरू होगा।

इस बीच यूजीसी, वर्तमान में रेग्युलेटर कम फंडिंग एजेंसी, ने एनईपी का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव शुरू किए हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), जो छात्रों को समय के साथ क्रेडिट जमा करने और विभिन्न डिग्री अर्जित करने की आजादी देता है, केवल कुछ संस्थानों के लिए ही अभी सुविधाएं दे रहा है। क्रेडिट का बचाना गरीब छात्रों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक फायदेमंद सौदा हो सकता है. जिन्हें अक्सर आर्थिक और सामाजिक कारणों से शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एचईआई में छात्रों की गतिशीलता का एबीसी समर्थन करेगा और युवाओं और वयस्कों के लिए आजीवन शिक्षा पाने का मौका देने का समर्थन करेगा जो तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में मौजूदा समय की जरूरत है।[5] नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें निम्न है-

- नई शिक्षा नीति में पाँचवी क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा।
- साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर (Gross Enrolment Ratio) के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है।
- अभी स्कूल से दूर रह रहे दो करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापनी की जाएगी।
- स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है।
- नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और तीन साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए तीन साली की प्री-प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और पाँचवी क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल याना 6-8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, पाँचवी और आठवी कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र श्परख (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- पढ़ने-लिखने और जोड़-घटाव (संख्यात्मक ज्ञान) की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए 'एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशनश् की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है।
- एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा।

- स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा।
- सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा।
- जीडीपी का छह फीसद शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4.43 फीसद है।
- नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3-18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है।
- छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठयक्रम में लागू किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्ष को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा।
- एचईसीआई के चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (एनएचईआरसी), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी)।
- उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसद GER (Gross Enrolment Ratio) पहुंचाने का लक्ष्य है।
- पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। आज की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरिंग पढ़ने या छह सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और तीन-चार साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है।
- नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आजादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
- उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं, जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए चार साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो तीन साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो एक साल के एम.ए. के साथ चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएच.डी. कर सकते हैं। उन्हें एम.फिल. की जरूरत नहीं होगी।
- शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी।
- एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है।
- हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहाँ भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं हैं. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई-शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।[6]

नई शिक्षा नीति 2020 युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का साधन

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एन.ई.पी. 2020 एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका देश के शैक्षणिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप आंतरिक बदलाव होगा और संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत के भविष्य को नई दिशा मिलेगी और दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि गुणवत्ता, समानता. पहुंच और सामर्थ्य के सिद्धांतों पर तैयार की गई यह नीति मोदी सरकार के लिए एक मार्गदर्शक फलसफा है, एक मूल पाठ है, जो करोड़ों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का एक साधन है।

एन.ई.पी. 2020 की पहली विशेषता यह है कि इस नीतिगत उपाय के माध्यम से समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर देकर हम प्री स्कूल से लेकर वयस्कता तक बच्चे के लिए अधिक सक्षम वातावरण सुनिश्चित करते हैं। एन.ई.पी. में सीखने को रोचक बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा गया है और नई 5334 स्कूली शिक्षा प्रणाली के जरिए बच्चे को औपचारिक स्कूलों के लिए तैयार किया जाता है।

दूसरी विशेषता पहली से ही जुड़ी हुई है कि कौशल और स्कूली शिक्षा (अकादमिक), पाठ्यक्रम संबंधी और पाठ्यक्रम के अलावा मानविकी और विज्ञान के बीच के वर्गीकरण को तोड़कर बहु-विषयकता, वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया गया है। इसमें रचनात्मक संयोजन करने की पूरी संभावना है-उदाहरण के लिए पेंटिंग के साथ गणित विषय का संयोजन। छात्र के जीवन में आने वाले कई प्रकार के तनाव से निपटने के लिए शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर मार्कशीट के बजाय एक समग्र प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, जिसमें योग्यता के साथ बच्चे के कौशल, दक्षता, पात्रता और अन्य प्रतिनाओं का आकलन किया जाएगा।

हाई स्कूल के प्रत्येक बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी, जो छठी कक्षा से शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र के लिए कभी भी पाठ्यक्रम को छोडने के लिए उपयुक्त प्रमाणन के साथ पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने और छोडने के कई विकल्प होंगे। स्कूली शिक्षा के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा लेकिन सिद्धांतों, मानकों और दिशा-निर्देशों की व्यवस्था एन.डी.ई.ए. आर. के माध्यम से आपस में जुड़ा होगा।

एन.डी.ई.ए.आर.समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 में भी सहायता करेगी, जिसे अगले पांच वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया है और इसके लिए इस माह की शुरुआत में 2.94 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की घोषणा की गई थी। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जो सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के 11.6 लाख स्कूलों, 15.6 करोड़ से अधिक छात्रों और 57 लाख शिक्षकों के लिए है। सभी बाल-केंद्रित वित्तीय सहायता डी.बी.टी. तरीके से सीधे छात्रों को प्रदान की जाएगी।

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ए.बी.सी.) होगा, जो विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों (एच.ई.आई.) से अर्जित सभी शैक्षणिक क्रेडिट की डिजिटल स्टोरेज की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि इन्हें अंतिम डिग्री में शामिल किया जा सके। इसमें व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण, अगर छात्र अलग-अलग समय पर पाठ्यक्रम को छोड़ता है और ऐसी अन्य असाधारण स्थितियों में उसके द्वारा जमा किए गए ग्रेड शामिल हैं।

एन.ई.पी. बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम की सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा (आई.एस.एल.) में तैयार करने के मानकीकरण सहित शिक्षा के माध्यम के

रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के लिए तीन भाषा नीति की भाषाई दक्षता के माध्यम से ज्ञान अर्थव्यवस्था तैयार करती है। यूनेस्को ने आई.एस.एल.-आधारित सामग्री पर विशेष ध्यान देते हुए प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशी शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इन सभी पहलों को एक-साथ जोडने के लिए लैंगिक समावेशन कोष की स्थापना, वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए विशेष शिक्षा जोन के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया जाएगा और राज्यों को बाल भवन या दिन के लिए बोडिंग स्कूल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।[7]

शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख चुनौतियाँ

- निम्न सकल नामांकन दर
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- खराब अवसंरचना और सुविधाएँ
- अपर्याप्त अनुसंधान
- बुनियादी ढाँचा
- गुणवत्ता की समस्या

समाधान के प्रयास

- शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- सरकारी खर्च को बढ़ाना।
- समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर देना।
- गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाना।
- समावेशी शिक्षा नीति का निर्माण करना।

निष्कर्षतः वर्तमान शिक्षण पद्धति की संरचना में बदलाव करते हुए 5+3+3+4 को सम्मिलित किया गया है। परिणामस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं को शामिल करके नया संकुल बनाया जाएगा जिससे मौजूदा स्कूली पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त नवीन मानक तैयार हो सकेगा। इस प्रकार तीन वर्ष की उम्र से शिशु औपचारिक शिक्षा प्रणाली का अंग बन जाएगा। यह शिक्षा प्रणाली का प्रथम चरण है। यह शिक्षा नीति वास्तविक शिक्षा की शुरुआत से पहले नींव की अवस्था के रूप में 3 से 8 वर्ष की अवधि का आंकलन करती है। बच्चों के भविष्य को सही राह दिखाने एवं देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाए। अतः हमें अन्य सुधारों के साथ-साथ उचित प्रशासन मानकों, सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन और चेक और बैलेंस की नीति अपनाने की जरूरत है।

REFERENCES

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उदीयमान विश्वगुरु भारत, न्यूज 18, 19 अक्टूबर, 2020

2. नयी शिक्षा नीति की जरूरत थी, प्रभात खबर, 31 जुलाई, 2020

3. साहू, निरंजन एवं खान, जिब्रान आलेख "भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण क्यों और कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है", ऑब्जरवेशन रिसर्च फाउंडेशन, 17 नवम्बर, 2020

4. नई शिक्षा नीति के सगग्र सर्वेक्षण की जरूरत, जनराता, 13 अक्टूबर, 2021

5. वाडिया, लीना चंद्रन आलेख "नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने भर से क्या हो जायेंगे परिवर्तनकारी बदलाव एक आंकलन", ऑब्जरवेशन रिसर्च फाउंडेशन, 17 जनवरी, 2022

6. नई शिक्षा नीति-2020 पाँचवीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई, जानिए बड़ी बातें, बी.बी.सी. न्यूज, 30 जुलाई, 2020

7. नई शिक्षा नीति 2020 युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का साधन, पंजाब केसरी, 13 अगस्त, 2021